कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/वरि/के–1/मानदण्ड/2018–19/ दिनांक :– 13-02-19

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग

विषय :– **वर्ष 1986–88 से 97–98 तक की द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापकों (पु0–महिला)की दिनांक 1.4.19 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी करने बाबत्।**

प्रसंग :– **क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/वरि/के–1/मानदण्ड/18–19 / दिनांक 12.11.18, 19.12.18 एवं 24.12.18.**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा जारी निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.11.18 के द्वारा आपको वर्ष 1986–88 से 1997–98 तक की द्वितीय वेतन श्रृंखला में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों (पु0–महिला) की दिनांक 01.04.2019 की अद्यतन स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। तदुपरान्त इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.12.18 के अनुसार आपके कार्यालय के कार्य से संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं कार्मिक को इस कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया गया था कि वरिष्ठता सूची किस प्रकार निर्मित की जानी है।

उक्त वरिष्ठता सूची निर्मित कर इस कार्यालय को दिनांक 31.01.19 तक आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु आपके कार्यालय के संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं कार्मिक को प्रशिक्षण के दौरान पाबन्द भी किया गया था, लेकिन आपके कार्यालय द्वारा अभी तक उक्त वरिष्ठता सूची निर्मित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कार्य में विलम्ब की स्थिति गंभीर है, क्योंकि वर्ष 2019–20 की व्याख्याता / प्र0अ0 मावि. के पद की डीपीसी हेतु अस्थाई पात्रता सूची जारी की जानी है।

अतः आप दिनांक 15.02.19 तक वांछित सूची निर्मित कर सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी आवश्यक रूप से कार्य से संबंधित लिपिक के साथ भिजवाने की व्यवस्था करें। यदि निर्धारित तिथि तक वांछित वरिष्ठता सूची प्राप्त नहीं हुई तो विलम्ब के लिये आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

www.rajteachers.com

(नथमल डिडेल)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/वरिष्ठता/के–1/मानदण्ड/2018–19 दिनांक-13-02-19

परिपत्र

मण्डल अधिकारियों द्वारा समय समय पर द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की वरिष्ठता सूचियों में नामांकन / योग्यता अभिवृद्धि / संशोधन एवं विलोपन सम्बंधी आदेश जारी किये जाते हैं। इस कार्यालय स्तर पर इन आदेशों का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि किसी कार्मिक का मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में नामांकन करने का आदेश में कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया जाता है, इस कारण एक ही कार्मिक के एक से अधिक वरिष्ठता सूचियों में नामांकन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार योग्यता अभिवृद्धि सम्बंधी आदेश में योग्यता अभिवृद्धि को विलम्ब से वरिष्ठता सूची में दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है, जिन कार्मिकों द्वारा काफी पूर्व में स्नातकोत्तर योग्यता उत्तीर्ण की हुई होती है, उनकी योग्यता अभिवृद्धि विलम्ब से किये जाने का कोई औचित्य आदेश में अंकित नहीं होता है, इस कारण विभाग के समक्ष कई न्यायिक प्रकरण उत्पन्न होते हैं, जिसमें कार्मिक द्वारा यह दावा किया जाता है कि उसके द्वारा योग्यता अभिवृद्धि का प्रपत्र समय पर संबंधित मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन मण्डल कार्यालय स्तर पर समय पर उनकी योग्यता अभिवृद्धि नहीं किये जाने के कारण उनकी उच्च पद पर पदोन्नति प्रभावित हुई है।

वरिष्ठता सूची में नामांकन की स्थिति निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है:–

1. अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप
2. रिव्यू डीपीसी में चयन वर्ष परिवर्तन अथवा नवीन चयन के फलस्वरूप
3. त्रूटिवश पूर्व में नामांकन नहीं होने के कारण

भविष्य में मण्डल अधिकारी उक्त तीनों कारणों में से किसी कारण से मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में नामांकन करते हैं तो नामांकन आदेश में एक विशेष विवरण के कॉलम में यदि अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप नामांकन किया गया है तो उसमें संबंधित मण्डल से प्रपत्र 6(वरिष्ठता स्थानान्तरण) उनके कार्यालय में प्राप्त होने की दिनांक एवं पूर्व मण्डल, जहां से कार्मिक स्थानान्तरित होकर आया है, उस मण्डल का वरिष्ठता क्रमांक एवं अवधि की स्थिति अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। यदि किसी कार्मिक का रिव्यू डीपीसी में चयन वर्ष परिवर्तन के फलस्वरूप नामांकन किया जा रहा है तो उसके आदेश के विशेष विवरण के कॉलम में उसका पूर्ववर्ती चयन वर्ष एवं उस चयन वर्ष से संबंधित मण्डल स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक एवं अवधि का विवरण आवश्यक रूप से अंकित करेंगे। यदि किसी कार्मिक का रिव्यू डीपीसी में नवीन चयन के कारण नामांकन किया जा रहा है तो आदेश के विशेष विवरण के कॉलम में "नवीन चयन" विवरण आवश्यक रूप से अंकित करेंगे। विशेष विवरण का कॉलम किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं रखा जावेगा एवं आवश्यक विवरण अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

इसी प्रकार जिन कार्मिकों की योग्यता अभिवृद्धि मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में दर्ज की जाती है तो ऐसे आदेश के विशेष विवरण के कॉलम में संबंधित कार्मिक द्वारा योग्यता अभिवृद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की तिथि एवं आवेदन पत्र मण्डल कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि आवश्यक रूप से अंकित की जावे। यह भी ध्यान रखें कि किसी भी योग्यता को दर्ज करते समय उसकी उत्तीर्ण तिथि आवश्यक रूप से अंकित की जावे। इसी प्रकार वरिष्ठता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन / विलोपन हेतु भी आदेश के विशेष विवरण के कॉलम में उसका औचित्य आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

इन निर्देशों की गंभीरता के साथ पालना की जावे। भविष्य में यदि किसी मण्डल कार्यालय द्वारा इन निर्देशों की अनदेखी करते हुए अपूर्ण आदेश जारी किये गये तो ऐसे आदेश अमान्य किये जाकर संबंधित मण्डल अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(नथमल डिडेल)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/वरिष्ठता/के–1/मानदण्ड/2018–19 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
2. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन एबी अनुभाग / संस्थापन सी अनुभाग
3. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट एवं राजरमसा पर तथा संबंधित कार्यालयों की ई–मेल आई डी पर अपलोड करने हेतु

निदेशक,